

29.8.25

पत्रावली पैरा 100। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को आज न्यायालय में प्रथम प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगनी गयी। आवजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय के दफ्तर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सारंदा - 4 नियम-3 प्रा० 310 के तहत अयम दायरी व अयम पैरवी में शारिफ की जाती है। पत्रावली क्रैसल नुमार चीकर नंबर ले कम होकर शामिल दफ्तर है।

(Signature)
अधिवक्ता
गोपनीय

02/6

02/6

गोपनीय
अधिवक्ता
गोपनीय